


-:कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर:-  
-x-

कार्यालय-आदेश  
\*\*\*\*\*

श्री अब्दुल करीम टॉक, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक-  
विद्यालय, नारलाईपाली जिनकी जन्मतिथि 15.09.1960 है एवं  
राज्य सेवामें प्रथम नियुक्ति तिथि 12.08.1985 है ।


श्री अब्दुल करीम टॉक, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक -  
विद्यालय, नारलाईपाली द्वारा राजस्थान सिविल सेवा नियम 50।  
के प्रावधानुसार 15 वर्ष की योग्य सेवा पूर्ण करने के उपरान्त स्वयं की  
प्रार्थना पर राजस्थान सिविल सेवा नियम 50। के अन्तर्गत दिनांक -  
01.02.2018 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है ।

  
अनशु डिल्ल  
आईएसए  
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/ए-4/अब्दुलकरीम/17/09 दिनांक: 10.12.17  
प्रतिलिपि:-

- 1 संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, जोधपुर
- 2 उम निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग, पाली
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक पाली
- 4 प्रधानाचार्य, राउमा वि, नारलाईपाली
- 5 श्री अब्दुल करीम टॉक, प्रधानाचार्य, राउमा वि, नारलाईपाली
- 6 प्रभारी-बी-2
- 7 निजी/रक्षित पत्रावली

  
संयुक्त निदेशक कार्मिक  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

प्रारूप-6

(नियम 78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

## स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आदेश

राजस्थान सिविल सेवा नियम (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के प्रावधानान्तर्गत निम्नांकित कार्मिक जो राज्य सेवा में कार्यरत हैं ने नियमानुसार नोटिस प्रस्तुत कर कॉलम संख्या 06 में अंकित दिनांक से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाही है। निम्न कार्मिक राजस्थान सिविल सेवा नियम (पेंशन) नियम-50(1) के प्रावधानानुसार 45 वर्ष की आयु एवं 15 वर्ष की सेवा दोनों ही शर्तें पूर्ण करते हैं, उक्त नियमों के अन्तर्गत कॉलम सं० 06 में अंकित दिनांक से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है।

क्रम	नाम व्याख्याता मय पदस्थापन स्थान सर्वश्री/सुश्री/श्रीमती (राउमावि/राबाउमावि)	व्याख्याता विषय	जन्मतिथि	राज्य सेवा में नियुक्ति तिथि	स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति तिथि
1	2	3	4	5	6
1	श्री गुलाब सिंह, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कोटा- श्रीगंगानगर	इतिहास	15-06-1958	01-07-1986	31-01-2018

2 यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित के विरुद्ध आज दिनांक तक-

(1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(3) कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

आदेश शिविरा/मा/संस्था/सी-2/31853/सेवानिवृत्ति/2017 दिनांक 27.10.17 क्रम संख्या 03 पर अंकित के अतिक्रमण में यह आदेश पारित किया जाता है।



(नधमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा


राजस्थान बीकानेर

दिनांक-11/12/2017

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-2/31853/स्वै.सेवानिवृत्ति/2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान, बीकानेर
2. उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, श्रीगंगानगर
3. उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, बीकानेर
4. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) श्रीगंगानगर
5. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कोटा-श्रीगंगानगर को निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित व्याख्याता के कोई न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है का दस रुपये के स्टाम्प पर निर्धारित प्रपत्र-6 प्राप्त कर नियमानुसार अंतिम अदेय प्रमाण पत्र जारी करें। (रजिस्टर्ड)
6. श्री गुलाब सिंह, व्याख्याता-इतिहास, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कोटा-श्रीगंगानगर
7. अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता अनुभाग/एसीआर अनुभाग/एबी अनुभाग कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि कार्मिक के वरिष्ठता सूची पर सम्बन्धित इन्द्राज करावें।
8. प्रभारी ओएसी- संस्थापन सी अनुभाग
9. निजी / रक्षित पत्रावली ।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

## कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

### कार्यालय आदेश


निम्नांकित कार्मिक जो प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) (राजनीति विज्ञान) के रूप में नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय/ संस्था में कार्यरत है, को अधिवाषिता की आयु पूरी कर लेने पर उनके नाम के सामने अंकित तिथि से सरकारी सेवा से सेवानिवृत किया जाता है ।

क्र० सं०	नाम प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) एवं समकक्ष मय पदस्थापन स्थान (राउमावि)	जन्मतिथि	सेवानिवृति तिथि
1	धर्मपाल यादव, फुलावास, अलवर	15.03.1958	31.03.18

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित प्राध्यापकों के विरुद्ध आज तक -

- 1- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2- राजस्थान सिविल सेवा ( वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम- 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
- 3- कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।

नोट-वास्तविक सेवानिवृति तिथि तक यदि कोई विपरीत स्थिति उत्पन्न होती है तो संस्था प्रधान तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें ।

  
(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस  
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

दिनांक : 6/12/2017

क्रमांक:शिविरा/माध्य/संस्था/सी-6/सेवानिवृति/रावि/31820/17-18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रेषित-

1 संबंधित संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान

2 संबंधित उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा .....


3 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा.....

4 सिस्टम एनालिसिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा, विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ ।

5 संबंधित संस्था प्रधान

6 संबंधित कार्मिक .....

7 रक्षित पत्रावली

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर